# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
## जिला चित्तौडगढ
**पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर०ए०एस०)**

राजस्व संख्या / 58 / 2025

दायर दिनांक 30.05.2025

**उनवान**

1. सकीना पुत्री चान्द खॉ पत्नी हनीफ मोहम्मद जाति पिंजारा उर्फ पिनारा (मन्सुरी) आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया हाल निवास कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

— वादीया

**बनाम**

1. नानी पत्नी चान्द खॉ जाति पिंजारा उर्फ पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. शरीफन पुत्री चान्द खॉ पत्नी मोहम्मद बशीर जाति पिंजारा उर्फ पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया हाल निवास गोराजी का निम्बाहेडा, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. शहनाज पुत्री चान्द खॉ पत्नी मोहम्मद हमीद जाति पिंजारा उर्फ पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया हाल निवास रूद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. सलमा पुत्री चान्द खॉ पत्नी महबुब जाति पिंजारा उर्फ पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया हाल प्रतापगढ तहसील प्रतापगढ जिला प्रतापगढ़ (राज.)। (विलोपित)
5. जाकीर पुत्र अलादीन जाति पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. पीरू खॉ पुत्र नानु खॉ जाति पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. मुबारीक पुत्र अलादीन जाति पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. सईदा पत्नी अलादीन जाति पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. सफी मोहम्मद पुत्र अलादीन जाति पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—प्रतिवादीगण

**—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट :—**

**निर्णय दिनांकः 03.12.2025**

**—:निर्णयः—**

वादीया का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1,2 जा0दी0 सपठित धारा 88—89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा भट्टो का बामनिया पटवार हल्का भट्टों का बामनिया तहसील कपासन के आराजी संख्या 1941, 1943, 1944, 2158/1940, 2159/1945 कुल किता 05 कुल रकबा 2.50 हैक्ट0 स्थित है। साथ ही मौजा भट्टों का बामनिया तहसील कपासन के आराजी संख्या 1936 रकबा 0.17 हैक्ट0 आ0चा0 स्थित है। वर्णित आराजीत में वादीया सहित प्रतिवादी संख्या एक से लगायत चार तक 1/15—1/15 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5, 7, 8, 9 का 1/12—1/12 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या छ पीरू खॉ का 1/3 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में खातेदारी से अंकित है।

यह कि वादगत आराजीयात वादीया सहित प्रतिवादी संख्या दो, तीन, एवं चार के पिता एवं प्रतिवादी संख्या एक के पति चान्द खॉ पुत्र नानु खॉ पिंजारा के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होने से वादीया सहित प्रतिवादी संख्या एक से लगायत चार तक के पैतृक स्वामित्व एवं संयुक्त आधिपत्य की है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या दो,तीन, चार के पिता एवं प्रतिवादी संख्या एक के पति खातेदार चान्द खॉ पुत्र नानु खॉ पिंजारा निवासी भट्टों का बामनिया का दिनांक 25.07.2001 को देहावसान हो गया। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या एक से लगायत चार तक मृतक चान्द खॉ के वंशज होकर विधिक वारीस एवं उत्तराधिकारी है। स्वर्गीय चान्द खॉ के कोई पुत्र वारीस/उत्तराधिकारी नही है।



सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला चित्तौड़गढ़

...र्गीय चान्द खॉ की मृत्यु के समय वादीया एवं प्रतिवादी संख्या दो, तीन एवं चार ...मं थे। चान्द खॉ के ईन्तकाल के पश्चात उनकी विरासत का नामान्तरकरण पटवारी ...ट्टों का बामनिया द्वारा प्रतिवादी संख्या एक, दो, तीन तथा चार के साथ ही भूरी पुत्री चान्द नाम पर खोला गया। मृतक चान्द खां के भूरी नाम की कोई पुत्री नही है। मृतक की मैं सकीना, प्रतिवादी सलमा, शहनाज तथा शरीफन पुत्रीयां तथा नानी विधवा पत्नी है। मृतक ...हम चारों पुत्रियों एवं विधवा पत्नी नानी के अलावा अन्य कोई पुत्र पुत्रीयां नही है। ईन्तकाल के ...सार राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी मं उक्तानुसार वादीया के नाम सकीना के बजाय भूरी नाम ...लत अंकन हो गया। उक्त गलत अंकन विरासत के नामान्तरकरण से आज तक निरन्तर जारी है। मृतक चान्द खॉ के विरासत के नामान्तरकरण में लिपीकीय त्रुटि एवं भूलवश मुझ वादीया का नाम सकीना के बजाय भूरी गलत अंकित हो गया है, जिससे यह घोपित कराया जाना आवश्यक है कि राजस्व रेकार्ड की जमाबनदी में भूरी पुत्री चान्द खॉ अंकन गलत है, उक्त गलत अंकन को दुरुस्त कराया जाकर सकीना पुत्री चान्द खॉ अंकन गलत है, उक्त गलत अंकन को दुरुस्त कराया जाकर सकीना पुत्री चान्द खॉ अंकित कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रमाणार्थ मुझ वादीया का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पेन, कार्ड राशन कार्ड, मार्कशिट तथा श्रमिक कार्ड एवं बैंक खाते की फोटो प्रतियां वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। वर्णित सभी दस्तावेज में वादीया का नाम सकीना ही अंकित है।

यह कि मुझ वादीया ने पटवार हल्का भट्टों का बामनिया से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की, जमाबन्दी की नकल में मुझ वादीया का नाम सकीना के बजाय भूरी अंकित होने से वादीया ने पटवार हल्का भट्टों का बामनिया से राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में भूरी के स्थान पर सही नाम सकीना अंकित किये जाने का निवेदन किया जिस पर पटवार हल्का भट्टों का बामनिया ने वादीया को बताया कि इस बाबत आपको न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर आदेश कराना होगा। आदेश के उपरान्त ही हम भूरी के स्थान पर सकीना नाम अंकित कर सकेंगे। इस पर मुझ वादीया ने प्रतिवादी संख्या दस से इस बाबत निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या दस की ओर से मुझे न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करने को कहा गया। अतः वाद हेतुक उत्पन्न हुआ। जिसकी शुरूआत दिनांक 26 मई 2025 को हुई जो निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि वाद पत्र की चरण संख्या एक व दो में उल्लेखित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अंकन में त्रुटिवश भूरी पुत्री चान्द खॉ गलत अंकित होने से भूरी पुत्री चान्द खॉ अंकित किये जाने की घोषणा का निर्णय एवं डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बी0एस0गौड0 का अधिकार पत्र मय जवाब इकबालिया प्रस्तुत जो शा0फा0 है। तथा विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध वकील वादी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। साक्ष्यवादी में वादीया सकीना का शपथ पत्र प्रस्तुत। शपथग्रहिता वादीया ने वाद पत्र के समर्थन एवं पुष्टि में दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श– 12 है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजो व प्रतिवादीगण के जवाब इकबालिया के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा भट्टो का बामनिया पटवार हल्का भट्टों का बामनिया तहसील कपासन के आराजी संख्या 1941, 1943, 1944, 2158/1940, 2159/1945 कुल किता 05 कुल रकबा 2.50 हैक्ट0 तथा मौजा भट्टों का बामनिया तहसील कपासन के आराजी संख्या 1936 रकबा 0.17 हैक्ट0 आ0चा0 स्थित है, में दर्ज भुरी पुत्री चान्द खॉ के बजाय सकीना उर्फ भुरी पुत्री चान्द खॉ दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़